जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई की बैठक दिनांक 29.07.2021 को अपरान्ह 05.00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न अधिकारी/सदस्यगण उपस्थिति रहे :-

1- जिलाधिकारी हरदोई।
2- मुख्य विकास अधिकारी हरदोई।
3- जिला विकास अधिकारी, हरदोई।
4- बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।
5- जिला वन अधिकारी, हरदोई।
6- जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
7- जिला कृषि अधिकारी, हरदोई।
8- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, हरदोई।
9- जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई।
10- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरदोई।
11- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरदोई।
12- परियोजना प्रबन्धक, एन0सी0सी0 लि0 हरदोई।

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हरदोई हेतु अनुबंधित फर्म एन0सी0सी0 प्रा0 लि0 हैदराबाद को कुल 359 ग्राम पंचायतों के 640 राजस्व ग्रामों की सूची डी0पी0आर0 विरचन हेतु उपलब्ध करायी गयी , जिसके अनुक्रम में पूर्व में 55 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके है। अनुबंधित फर्म द्वारा 46 नग डी0पी0आर0 तैयार कर बैठक में स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये है। एन0सी0सी0, लि0 हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का तकनीकी परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम) तथा जल निगम की गाइड लाइन के अनुसार उ0प्र0 जल निगम, हरदोई द्वारा कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि उपरोक्त आगणन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा दी गयी गाइड लाइन में योजना हेतु प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 निर्धारित की गयी है। प्रस्तुत 46 नग डी0पी0आर0 में 35 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 से कम है तथा 11 नग डी0पी0आर0 प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 से अधिक है। डी0पी0आर0 के अन्तर्गत कार्य लागत में 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी0एस0टी को सम्मिलित किया गया है, जो गाइड लाइन के अनुरूप है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0डब्लू0एस0एम0) द्वारा दी गई गाइड लाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज व्यय को राज्यांश में प्राविधानित किया गया है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि जिन डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत 6000.00 रू0 से कम है, उन्हें संस्तुति सहित स्वीकृतार्थ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दिया जायें। रू0 6000.00 प्रति व्यक्ति लागत से कम लागत के निम्नलिखित डी0पी0आर0 है।

क0सं0	विकास खण्ड	योजना का नाम	कुल लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	टडियावां	जपरा	406.45
2	कोथावां	आटसांट	627.77
3	हरियावां	अटवा असिगांव	376.88
4	अहिरोरी	बल्लीपुर	546.05
5	बेहंदर	बरगाव	636.60
6	कोथावां	ममरेजपुर	537.20
7	बावन	बवनापुर	298.29
8	बेहन्दर	गुलपाहन	271.12
9	कोथावां	नेवादा लोचन	434.72
10	अहिरोरी	खड़ाखेड़ा	578.93
11	बेहन्दर	अलादपुर नेवादा	369.58
12	बेहन्दर	बक्कुई	333.76

	बेहन्दर	गौरी दयामपुर	336.08
	बेहन्दर	खरिका	527.02
	बेहन्दर	महमूदपुर लालता	294.70
	बेहन्दर	बटौली नन्दौली	554.99
	बेहन्दर	इनायतपुर	336.16
	बेहन्दर	सरहेरी	470.90
18	कोथावां	थाना गांव	331.90
19	बेहन्दर	फतेपुर पतरौली	382.89
20	सण्डीला	मोहम्मदपुर बिलबरन	360.30
21	टडियावां	उदरा तराई	282.31
22	पिहानी	अहमबी	372.18
23	अहिरोरी	परसपुर	489.37
24	टोडरपुर	रेभा मुरादपुर	324.77
25	हरियावां	बमरवा	325.60
26	पिहानी	भिटी नेवादा	269.27
27	टोडरपुर	भोगीपुर ग्रांट	267.99
28	पिहानी	चंदेली	497.44
29	अहिरोरी	चठिया	256.03
30	पिहानी	इतारा	627.27
31	पिहानी	कुइयन	273.11
32	हरियावां	मोदीपुर	396.41
33	टोंडरपुर	सेवा	354.59
34	सुरसा	सुगांव	584.65
35			

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000.00 से अधिक है, उन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निर्णय हेतु संदर्भित कर दिया जाये। रू0 6000.00 प्रति व्यक्ति से अधिक लागत वाले डी0पी0आर0 निम्नवत हैं।

1	बेहन्दर	गौरी सयाद तालिब	303.63
2	अहिरोरी	कोट	242.92
3	बेहन्दर	कुतुबपुर	237.64
4	टडियावां	नरायणपुर ग्रांट	282.11
5	टडियावां	नेवादा हरदोई	265.53
6	सुरसा	सरैया	227.21
7	कोथावां	शाहपुर	274.02
8	बेहन्दर	शाहपुर चमराहा	340.38
9	हरियावां	सरैया	297.59
10	बावन	खुमारीपुर	281.05
11	टडियावां	सरदापुर	346.98

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया, कि उ0प्र0 विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति के उद्दरण प्रकरण में जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत समुखा एवं जलिहापुर में इण्डिया मार्क- II हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु मॉग की गयी थी। उक्त ग्राम पंचायतें भारत सरकार के मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के अनुसार पूर्ण संतृप्त है एवं वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन की कोई योजना स्वीकृत न करते हुये ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उक्त प्राथमिकता अन्तर्गत उ0प्र0 विधान परिषद विनियमन समीक्षा समिति की बैठक 11.06.2019 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र सं0 409/2043-याचिका/19 दिनांक 11.06.2019 द्वारा ग्राम पंचायत समुखा एवं जलिहापुर में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु डी0पी0आर0 विरचन किये जाने के निर्देश दिये गये है। अधीक्षण अभियन्ता, (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ दिये गये निर्देशों का संज्ञान लेते हुये जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि उ0प्र0 विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देश के कम में एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद को डी0पी0आर0 विरचन हेतु निर्देशित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति दिनांक 10.10.2017 की सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही के उद्धरण अन्तर्गत जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन की ग्राम पंचायत महमदापुर के राजस्व ग्राम झझोली में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने हेतु मांग की गयी है। उक्त ग्राम पंचायत भारत सरकार के मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प के अनुसार संतृप्त है। वर्तमान में शासन द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी है। शासन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल योजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त ग्राम में पेयजल योजना निर्मित कराये जाने हेतु उ0प्र0 विधान परिषद की याचिका समिति अथवा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा निर्देश नहीं दिये गये है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि याचिका समिति अथवा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ से लिखित निर्देश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के पत्रांक 2434/डब्लू-314/जे0जे0एम0-आई0एस0ए0/2020-21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा जनपद हरदोई हेतु 5 इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी नामित की गयी हैं। जिनको जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का क्लस्टर(पाईप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं संचालन/ अनुरक्षण हेतु)तैयार कर आवंटित किया जाना है। क्लस्टर आवंटन हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 368/ल0सि0/जिला पेयजल स्व0मि0/2020-21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा जनपद हरदोई के लिए नामित इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी को अपना इम्पलीमेंटशन प्लान तथा मानव संसाधन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत मानव संसाधन की दक्षता प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 695/का-70/38 दिनांक 15.03.2021 द्वारा टीम का गठन किया गया। इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत मैन पावर की सूची में अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता का प्रमाणीकरण उक्त गठित कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें मैसर्स भावना सेवा संस्थान लखनऊ (केटेगरी-बी) द्वारा प्रस्तुत मैन पावर की सूची में अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता मानक के अनुसार पायी गयी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मैसर्स भावना सेवा संस्थान लखनऊ (केटेगरी-बी) को दो नग क्लस्टर आवंटित करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

- एच0सी0एल0 फाउन्डेशन द्वारा जनपद के विभिन्न विकास खण्डो में पेयजल संबंधी कार्य कराये जा रहे हैं। इनको पेयजल संबधी कार्यो को कराये जाने का अनुभव है। एच0सी0एल0 फाउण्डेशन के पेयजल संबंधी कार्यो के अनुभव को देखते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि एच0सी0एल0 फाउन्डेशन को समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग करने हेतु नामित किया जाये तथा आगामी बैठकों में एच0सी0एल0 फाउन्डेशन के प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हुये जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रतिभाग कराया जाये।

- अधिशासी अभियन्ता जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि अधिशासी निदेशक/मिशन निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डब्लू-341/335/टेक एस0एल0एस0एस0सी0 (द्वितीय)/2020 दिनांक 2.7.2020 के द्वारा जल जीवन मिशन " हर घर जल " में रेट्रोफिटिंग कार्यो के अन्तर्गत परसोला ग्रामीण पेयजल योजना स्वीकृत है। योजनान्तर्गत 1 नग नलकूप रिबोर का कार्य प्रस्तावित था, परन्तु परसोला ग्राम पंचायत में नलकूप रिबोर का कार्य कराये जाने के उपरान्त पानी टेस्ट कराने पर खारा पानी पाया गया, जिसके फलस्वरूप परियोजना प्रबन्धक (चतुर्थ), निर्माण इकाई (विद्युत/यॉत्रिक) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा संस्तुति की गई, कि उक्त ग्राम पंचायत में शुद्ध जलापूर्ति किये जाने हेतु अन्य ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल बनाकर अवर जलाशय से जलापूर्ति की जा सकती है, जिसके लिये योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया है, कि योजना को ड्राप कर एन0सी0सी0 लि0 को पुनर्गठन हेतु ग्राम आवंटित कर दिया जाये। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया, कि इस संबंध में उच्च स्तर से लिखित निर्देश प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

05/08/2024

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता
जल निगम
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
हरदोई।